08/11/22 पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली मे आज आदेश किया जाना है। वाद पत्र मे प्रार्थी का कथन है की विवादित भूमि के मत खसरा नं० 49 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा पुख्ता सरहद ग्राम औजटू मे स्थित है। जिसका वादी का पिता स्व० जयदेवराम किसान के समय जिनी 1/3 हिस्से शान्तिपूर्वक काश्त करता रहा है और उसी समय से ही वादी के पिता खातेदार काश्तकार हो गये। ग्राम औजटू मे भजनीलाल पुत्र तुलाराम जाति जाट आजीवन अविवाहित रहा तथा उक्त काश्त की भूमि मे बतौर रखवाला था। इस कारण भजनीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो गया जब की मौके पर वादी के पिता स्व० जयदेवराम ही काश्त काबिज रहा। जिसके हाल खसरा नं० 244 रकबा 1.43 हे० मे वादी का 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त रहा है और राजस्व रिकॉर्ड मे भजनीलाल मृतक के नाम गलत दर्ज है जिसका नाम हटाकर वादी का नाम दर्ज करने

वकील वादी के वाद पत्र पेश करने पर वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया। वकील वादी ने अपने गवाह वादी का बयान पेश किया गवाही करवाई गयी वादी की गवाही पूर्ण होने पर वकील प्रतिवादी ने अपना गवाह DW1 पेश कर गवाही पूर्ण की गयी।

वकील पक्षकारान ने लिखित बहस पेश की। वकील वादी ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि के गत खसरा नं० 49 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता राजस्व ग्राम ओजटू स्थित है। वादी के पिता स्व० जयदेवाराम पिलाने के समय से ही 1/3 हिस्से की भूमि शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है और काबिज है और वादी भी काश्त करता आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15/10/1955 को लागू हुआ। उस समय से ही वादी के पिता स्व० जयदेवाराम खातेदार काश्तकार हो गया है। वादी के पिता भारतीय सेना मे सेवारत रहे इस कारण अपनी उक्त काश्त की भूमि की रुखवाली भतीजा पुत्र तुलसाराम जाट जो आजीवन अविवाहित रहा तथा उक्त काश्त की भूमि पर बतौर रुखवाला रहता था। इस कारण भतीजा का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज हो गया। जबकि मौके पर वादी के पिता स्व० जयदेवाराम काबिज काश्तकार रहा।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

नाजमीला सन् 1955 मे ही लाऔलाद फौत हो गया। इस का कोई वारिस भी नही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त नाजमीला का [illegible] रूप से गलत अंकन [illegible] होता रहा।

वकील प्रतिवादी ने भी दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार सम्वत 2012 से आज दिनांक तक खातेदार नाजमीला पंद्रह [illegible] है वादी के नाजमीला को न तो [illegible] बताया व न ही नाजमीला का कोई दस्तावेजात व कोई स्वतंत्र गवाह पेश नही किया प्रतिवादी के वकील ने अपने जवाब के समर्थन व बहस मे कानूनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर → 2015 (1) RRT 695 SC — मुस्लिम आर्मी इंडिया, बनाम वोइसी का. ऑ. हाउसिंग सोसायटी मे कानून पेश किया व वादी का वाद का पोषनीय नही होने पर खारिज किया जावे।

अतः वकील पक्षकारान की बहस सुनी मय पत्रावली के तनकीवार निर्णय किया जाता है

तनकीह नं. 1 :- "आया मता खसरा नं. 59 रकबा 17 बीघा 10 बीस्वा पुख्ता भूमि जो ग्राम औजटू मे स्थित है एवं खसरा नं. 244 रकबा 1.43 है० को वादी के पिता स्व० जमींदारी उन्मूलन के समय से ही खातेदारी जमीन की भूमि है परन्तु नाजमीला बतौर खातेदार होने के कारण नाम राजस्व रिकॉर्ड मे गलत दर्ज हो गया जिसको निरस्त कर वादी के नाम दर्ज किया जावे है"

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

ोख ्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	1. वादी के बयान से तनकी नं. 1 भलीभांति साबित है कि जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15.10.1955 को लागू हुआ, उससे पूर्व भी वादी के पिता स्व. जयदेवराम काश्त करता रहा, काबिज रहा तथा लगान अदा करता रहा। वादी का पिता भारतीय सेना में सेवारत रहे तथा अपनी उक्त कब्जे काश्त की भूमि का रखवाला मजीदिया उर्फ मजना था, जो कि उक्त काश्त की भूमि की थोर मजदूरी और कर्म चारी होने से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया। उसकी मजीदिया लावल्द उसी ... सन् 1955 में स्वर्गवास हो गया। उक्त मजीदिया का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड में [illegible] रूप से अंकन होता रहा। वादी ने अपने दावे की समर्थन में प्रदर्श नं. 1 व अन्य दस्तावेजात प्रदर्श नं. 18 प्रदर्शित करवाये हैं। इन दस्तावेजों से वादी का दादा भलीभांति साबित है, प्रदर्श नं. 5 व 6 से वादी के पिता स्व. जयदेवराम भलीभांति खातेदार काश्तकार साबित है तथा तनकी नं. 1 वादी	

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

की भलीभांति साबित हो कि वादी का पिता भारतीय सेना में सेवारत था, इस कारण वादी के पिता की उक्त खसरा की भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को खातेदारी हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इस बाबत वादी के पिता स्व० जगदेवाराम के पेन्शन डिस्चार्ज बुक पेश की जबकी मृतक भजनीराम व मृत व्यक्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे किसी भी प्रकार से दर्ज नहीं है तथा वादी के पिता स्व० जगदेवाराम के स्वर्गवास के बाद से ही उक्त खसरा की भूमि वादी काश्त करता आ रहा है काबिज है तथा काश्त अदा करता आ रहा जो दस्तावेज प्रदर्श-18 से साफ-साफ साबित है।

तनकी नं० 2 व 3 :- मे प्रतिवादी की किसी भी प्रकार से साबित नहीं है कि भजनीराम का स्वर्गवास वर्ष 1955 में नाबालिग फौत हो गया था इस कारण उसके कोई वारिसान नहीं होने से तथा मृतक व्यक्तियो को किसी भी प्रकार से कानूनन पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है जो प्रदर्श नं० 1 जमाबन्दी सम्वत् 2029-2032 से साफ साबित है इस कारण मृतक व्यक्तियो को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।

तनकी नं० 3 भी प्रतिवादी की साबित नहीं है कि वादी के पिता स्व० जगदेवाराम जिन्होंने के समक्ष जि खातेदार काश्तकार रहा है तथा दिनांक 5।10।1955 को खातेदारी काश्तकारी अधिकार इनकी समक्ष जि खातेदार काश्तकार है।

जो प्रदर्श-ऽ4 प्रस्तुत है जो भली भांति आधिक है। पूर्व मे न्यायालय द्वारा के निर्णय को विरुद्ध अपील स्वयं अपील अधिकारी कोटपुतली के न्यायालय द्वारा का निर्णय अपास्त कर विचारणीय न्यायालय आवश्यक सुनवाई व पर्याप्त अवसर प्रदान कर गुण-अवगुण पर प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित करें। मुल्क जरिये नमालिका को भी पक्षकार नहीं बनाया जाने का उल्लेख किया है जो किसी भी प्रकार से चलने के काबिल नहीं है क्योंकि उक्त दस्तावेज सिर्फ विवरण को आम-रास्ता मार्ग स्थापित करते हैं।

<u>आदेश</u>

अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी पत्र का ध्यानपूर्वक पढा गया वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर है गांव खसरा नं० 49 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता भूमि जो ग्राम औजद्ध के हाल खसरा नं० 244 रकबा 1.43 हैक्टेयर में उक्त नमालिका का राजस्व रिकॉर्ड के नाम दर्ज कर वादी दलीप का भूमि खसरा नं० 244 रकबा 1.43 हैक्टेयर में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार चिड़ावा

ख
न

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न
अह
हुव
में

आदेश दिये जाते हैं कि निर्णय की पालना राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जावें कि पत्रावली फैसल शुमार होकर मालखाने में दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में आज दिनांक 03/11/2022 को सुनाया गया।

(संदीप चौधरी आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा